फैक्स/ई-मेल/डाक

पत्र संख्या- सी0/सी0आई0मिस0-4010/2016................/

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार
सभी पुलिस उप- महानिरीक्षक, बिहार

पटना, दिनांक- / /2016

विषयः- **साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने हेतु जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक गठित शान्ति समितियों को पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के उद्देश्य से शान्ति समिति गठित करने के सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा कई अनुदेश पूर्व में निर्गत किये गये हैं। इसके बावजूद विगत वर्षो में राज्य में कुछ स्थानों पर हिंसक साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिससे ऐसा आभास मिलता है कि शान्ति समितियों द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में अधिक कारगर एवं सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

2. सरकार का सुविचारित मत है कि साम्प्रदायिक स्थिति को संभालने में तथा राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में शान्ति समिति कारगर भूमिका अदा कर सकती है।

3. अतः निर्णय लिया गया है कि पूर्व से जिला अनुमंडल/प्रखण्ड स्तर पर गठित शान्ति समिति को और अधिक सक्रिय बनाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में शान्ति समिति का स्वरूप जिला स्तर से प्रखंड तक निम्न प्रकार गठित/पुनर्गठित किया जाता हैः-

(क) **जिला स्तरीय शान्ति समिति :-**

(i)	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
(ii)	वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
(iii)	जिला के संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य	सदस्य
(iv)	महापौर, नगर निगम/ अध्यक्ष, नगर परिषद	सदस्य
(v)	नगर आयुक्त/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	सदस्य
(vi)	अपर समाहर्त्ता	सदस्य
(vii)	जिला अन्तर्गत सभी अनुमंडल पदाधिकारी	सदस्य
(viii)	जिला अंतर्गत सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	सदस्य
(ix)	ऐसे राजनीतिक दल, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य विधानमंडल में हो, के जिलास्तरीय अध्यक्ष या सचिव	सदस्य
(x)	विभिन्न सम्प्रदायों के कुल पाँच सम्मानित कार्यकर्ता, जो साम्प्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्य करते हों एवं जिनकी निरपेक्षता स्थापित हो (जिला पदाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

कृ0पृ030

(ख) **अनुमंडल स्तरीय शान्ति समिति :-**

(i) अनुमंडल पदाधिकारी	अध्यक्ष
(ii) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	सदस्य
(iii) अध्यक्ष, नगर निकाय (जहाँ हों)	सदस्य
(iv) भूमि सुधार उप-समाहर्ता	सदस्य सचिव
(v) सभी राजनीतिक दल जिनका प्रतिनिधित्व राज्य विधान मंडल में हो, उसके अनुमंडल स्तर के अध्यक्ष या सचिव	सदस्य
(vi) ऐसे पाँच सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता, जो साम्प्रदायिक सद्भावना बढ़ाने में कार्यरत हों (अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

(ग) **प्रखंड/थाना स्तरीय शान्ति समिति :-**

(i) अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जो विधि-व्यवस्था के प्रभारी हों	अध्यक्ष
(ii) प्रभाग पुलिस निरीक्षक/पुलिस थाना के थानाध्यक्ष	सदस्य
(iii) उस प्रखंड में रहने वाले जिला/अनुमंडलीय शान्ति समितियों के सभी गैर-सरकारी सदस्यगण	सदस्य
(iv) सभी पंचायतों के सरपंच	सदस्य
(v) विभिन्न समुदायों के अधिक से अधिक पांच सदस्य, अगर अन्यथा इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

4. **उपर्युक्त समितियाँ निम्नांकित कार्य करेंगी :-**

(i) साम्प्रदायिक सद्भावना और सामाजिक समरसता की भावना को प्रोत्साहित करने तथा उपरोक्त समितियों के कार्य क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच सद्भावपूर्ण सम्बन्धों के सृजन के लिए कार्यक्रम तैयार करना;

(ii) भिन्न-भिन्न समुदायों के बीच सामाजिक मेल-जोल तथा धार्मिक पर्वों को मिल जुलकर मनाने को प्रोत्साहित करना;

(iii) साम्प्रदायिक एवं जातिगत-तनावों के लिए जिम्मेवार मसलों की पहचान करना तथा इनके निदान के लिए सुझाव देना; एवं

(iv) सामुदायिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव के उद्देश्य से सामाजिक एकता कायम करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करना।

5. **सामान्य निदेश :-**

(i) जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड/थाना स्तर पर गठित शान्ति समितियों में विभिन्न संघों, पेशे यथा-व्यवसाय/चिकित्सा संघ, वकालत/चिकित्सा पेशे से जुडे व्यक्तियों एवं महिलाओं का भी समुचित प्रतिनिधित्व रखा जाए। गठित शांति समितियों की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक माह में आयोजित की जाए। जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर मनोनीत सदस्यों का अनुमोदन क्रमशः प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक जिला स्तर की बैठक की कार्यवाही निश्चित रूप से गृह विभाग को भेजी जाएगी ताकि राज्य स्तर पर इसका अनुश्रवण किया जा सके।

(ii) यहां यह उल्लेखनीय है कि इन समितियों के कार्यकलाप के चलते, साम्प्रदायिक शान्ति बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी तथा पुलिस की जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं आएगी। जबकि उत्पन्न हो रही किसी तनाव की स्थिति में शान्ति समिति के सदस्यों की सहायता प्राप्त की जाए, सुलह-सफाई की बात-चीत अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रखी जाएगी। अगर स्थिति आवश्यक हो, तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए बल प्रयोग में कोई विलम्ब या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

(iii) इसके अतिरिक्त जिला एवं अनुमंडल स्तर पर गठित समितियों में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमि विवादों का निपटारा करने के लिए पहल की जाएगी।

(iv) इन समितियों को या समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को निरीक्षण या पर्यवेक्षण का दायित्व नहीं होगा।

6. अनुरोध है कि शान्ति समितियों के पुनर्गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब की जाए एवं इसकी सूचना गृह विभाग को भी दी जाए।

7. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाए।

विश्वासभाजन
ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :- सी0/सी0आई0मिस0-4010/2016 पटना दिनांक 2016
प्रतिलिपिः- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0/-
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :- सी0/सी0आई0मिस0-4010/2016 4144 पटना दिनांक 29/04/ 2016
प्रतिलिपिः- आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Jitendra 29.04.16

सरकार के विशेष सचिव